न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 10/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बिदामी पुत्री स्व. तुलछाराम उर्फ तुलछीराम जाति मेघवाल निवासी हाल मेडता रोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर राजस्थान		1 शिव प्रकाश पुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी साण्ड घर के पास, मेडता रोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत जरिये ग्राम सचिव/ सरपंच ग्राम पंचायत मेडता रोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर राजस्थान।

उपस्थिति–

1 श्री माधोसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री प्रेमराज गहलोत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 24.02.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेडता रोड द्वारा मिसल संख्या 17/2017–18 पट्टा संख्या 2122 दिनांक 31.08.2017 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.03.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 14.03.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री प्रेमराज गहलोत अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 12.04.23 को न्यायालय में उपस्थित हुआ, तत्पश्चात अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल संख्या 17/17–18 की फोटोप्रति, शिवप्रकाश के शपथ पत्र की फोटोप्रति, सहमति पत्र की फोटोप्रति, शिवप्रकाश के आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र तथा मूल निवास की फोटोप्रति, सहमति पत्र दिनांक 02.06.1995 की फोटोप्रति, इकरारनामा दिनांक 07.06.95 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 2122 की फोटोप्रति, राशन कार्ड की फोटोप्रति, रसीद दिनांक 28.08.90 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रकरण संख्या 136/19 के फर्द अहकाम दिनांक 19.10.19 से 07.08.23 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश मेडता में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, अन्तिम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.11.22 की फोटोप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.09.20 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– जैर निगरानी आदेश बिल्कुल ही प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वांतों के खिलाफ हैं क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच को पूर्ण जानकारी थी कि जिस भूखण्ड व मकान के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने पट्टा हेतु आवेदन किया वह मकान व भूखण्ड निगरानी कर्ता के पिता तुलछीराम के स्वामित्व का रहा है। जिसमें तुलछीराम की जाईन्दा पुत्री निगरानी कर्ता निवास कर रही हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र से स्पष्ट हैं, फिर भी ग्राम पंचायत ने निगरानी कर्ता को बिना कोई सूचना दिये बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये ही अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पिता के प्रभाव में आकर मात्र कागजी औपचारिकता पूर्ण करते हुए निगरानी कर्ता के बाले बाले ही विधिविरूद्व तरीके से पटटा जारी करने का आदेश पारित कर पटटा जारी किया गया हैं जो पटटा निरस्त होने योग्य है।

2(2)–अप्रार्थी संख्या 1 के आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत ने दिनांक 21.07.2017 को दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली संख्या 17/2017–18 खोली गयी और उसी दिन मौका निरीक्षण हेतु पटटा कमेटी गठित सदस्य मनीष शर्मा उप सरपंच, मुकेश बंजारा वार्ड पंच व जीवणराम वार्ड को मनोनीत कर मौका रिपोर्ट आगामी बैठक में मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश करने का आदेश पारित किया गया। जिस आदेशिका में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त आदेश के माफिक मौके पर मौका निरीक्षण करने हेतु कोई भी सदस्य नहीं आया था। अगर निरीक्षण/ जांच हेतु आते तो निरीक्षण रिपोर्ट निगरानी कर्ता का ही कब्जा व स्वामित्व होना पाया जाता लेकिन स्वामित्व व कब्जा छुपाने की नियत से ही मौके पर बिना आये ही कार्यालय में बैठकर ही मौका रिपोर्ट तैयार कर औपचारिकता पूर्ण की गयी हैं, जो मौका रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट हैं कि मौका रिपोर्ट

24/2/25

अपर कलक्टर, नागौर

प्रिंटेड फॉर्म हैं और फॉर्म खाना पूर्ति दिनांक 05.08.17 का कार्यालय में बैठे बैठे ही हस्ताक्षर किये गये और उसी दिन पेश किया गया जबकि मौके पर दिनांक 05.08.2017 को कोई भी मौका निरीक्षण हेतु नहीं आये तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 146 की पालना विधिवत रूप से नही की गयी थी। मात्र औपचारिकता पूर्ण की गयी हैं ऐसी स्थिति में भी उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– राजस्थान पंचायतीराज नियम 148 की पालना विधिवत रूप से नहीं की गयी क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था तथा नोटिस जारी करने व नोटिस को प्रकाशित करने का ऐसा पत्रावली में कोई सबूत नहीं है नोटिस की प्रति अवश्य हैं। लेकिन उक्त नोटिस को प्रकाशित करने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है तथा नोटिस की प्रति प्रस्तावित भूमि पर नहीं लगाई गयी और न ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किया गया और चस्पा करने की संबंध में किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर आदि नहीं है। ऐसी स्थिति मे स्पष्ट है कि नोटिस प्रकाशित नहीं किया गया मात्र नियम 148 की पालना ऐतु एक नोटिस तैयार किया गया जिसको प्रकाशित नहीं किया गया। केवल मात्र औपचारिकता पूरी करने के उदेश्य से ही उक्त नोटिस को तैयार किया हैं जिससे भी उक्त आदेश अपास्त होने योग्य है।

2(4)– उक्त पटटे के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई राशि जमा नहीं करवायी हैं तथा राशि जमा करने का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं हैं और रसीद संख्या का अंकन किया हुआ नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश ने विधिवत रूप से राशि जमा नहीं कराई गयी और पंचायती राज नियम 1996 नियम 157 के अनुसार कम से कम 50 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा होना आवश्यक हैं और 50 वर्ष पुराना कब्जा साबत करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 पूर्ण रूप से असफल रहा हैं, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 खुद की आयु मे 30 वर्ष का हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्ष से कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ग्राम पंचायत ने रामदेव, किशोर, चंदाराम के बयान लिये गये हैं जबकि रामदेव की आयु 37, किशोर की आयु 32 वर्ष, चंदाराम की आयु 55 वर्ष हैं इन बयानों से भी 50 वर्ष पुराना कब्जा साबित नहीं होता है और ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 के पिता सेवाराम की सहमति ली गयी जिस सहमति का कोई औचित्य नहीं हैं क्योंकि विवादित जायगा पर सेवाराम का कोई बंट हिस्सा स्वामित्व कभी नहीं रहा हैं बल्कि स्वामित्व व कब्जा निगरानी कर्ता के पिता का रहता चला आया था। निगरानी कर्ता से कोई सहमति नहीं ली गयी हैं। ऐसी स्थिति में सेवाराम की सहमति से कोई औचित्य नहीं रहा और आज दिन भी स्वामित्व व कब्जा निगरानी कर्ता का रहता चला आया है निगरानी कर्ता से पहले निगरानी कर्ता के पिता का था तथा इस भूमि के पटटे हेतु निगरानी कर्ता के भाई रामस्वरूप ने आवेदन पत्र पेश किया था और ग्राम पंचायत ने पटटे हेतु दिनांक 28.08.1990 रसीद संख्या 38 के माफिक 5 रूपयें भी जमा करवाया था। उसके बाद रामस्वरूप का नाऔलाद देहान्त हो गया और उसके बाद निगरानी कर्ता अकेली का ही स्वामित्व व उपयोग, उपभोग रहता चला आया। पिता तुलछीराम के नाम विद्युत कनेक्शन भी ले रखा हैं व परिवार कार्ड भी बना हुआ हैं ऐसी स्थिति में उक्त पटटा खारिज होने योग्य है।

2(5)– ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 की पालना में दिनांक 05.08.2017 को एक कागजी नोटिस तैयार किया गया हैं। उस नोटिस मे एक माह में आपति पेश करने का उल्लेख ग्राम पंचायत ने उस नोटिस अवधि से पहले ही यानि 15 दिनों के बाद ही दिनांक 21.08.2017 को पटटा जारी कर दिया गया जबकि दिनांक 05.09.2017 को नाटिस के अनुसार आपति अवधि थी और नोटिस की अवधि पूर्ण होने से पहले ही पटटा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्व हैं और पटटा जारी करने से पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत में उक्त भूमि की कोई राशि भी जमा नहीं करवायी गयी थी। बिना राशि जमा कराये ही उक्त पटटा जारी किया गया हैं जो निरस्त होने योग्रू है।

2(6)–ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि का पटटा जारी करने का आदेश दिनांक 05.12.2017 को पारित किया गया और ग्राम पंचायत पटटा जारी करने के आदेश से पहले ही यानि दिनांक 21.08.2017 को जारी कर दिया गया और पटटा जारी करने बाद आदेश पारित किया ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 05.12.2017 से स्पष्ट हैं कि पटटा जारी करने का अदेश पारित किया है और पटटा जारी करने की दिनांक 21.08.2017 अंकित है जिस दिन पटटा जारी किया उस दिन अप्रार्थी के नाम पटटा जारी करने कोई आदेश नहीं था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पिता के प्रभाव में आकर मात्र कागजी औपचारिकता पूर्ण करते हुए गलत रूप से पटटा जारी किया जो निरस्त होने योग्य है।

2(7)– ग्राम पंचायत में बाले बाले ही पट्टा जारी किया था जिसकी निगरानीकर्ता को जानकारी नहीं हुई फिर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उक्त पटटा जारी होने का कथन किया तो निगरानीकर्ता ने नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा नकले मिलने पर पटटे के संबंध में कार्यवाही की और ये निगरानी पेश की

अपर कलक्टर, नागौर

तथा उक्त निगरानी के लिए कोई नियत समय अवधि नहीं है। इसलिए समय मियाद लागू नही होती है। इस आधार पर भी उक्त निगरानी समयावधि में पेश की गयी है।

2(8)–अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गयी लिखित बहस में यह कथन किया की निगरानी कर्ता बिदामी ने एक सिविल वाद सिविल न्यायालय में पेश किया है, से कोई विरोध नहीं हैं। निगरानी कर्ता को अप्रार्थी के पिता द्वारा उक्त सिविल वाद मे आवेदन पेश करने तथा उसमें पटटे के बारे में कथन करने पर जानकारी रही तब निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है जो जानकारी से अन्दर मियाद है।

2(9)–अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में यह कथन किया है कि स्व. तुलछाराम के भाई सेवाराम के सुपुत्र शिवप्रकाश को निगरानी कर्ता बिदामी ने स्व. तुलछाराम के गौद दे दिया है तथा अप्रार्थी ने लिखित बहस में यह कथन भी किया है कि निगरानी कर्ता बिदामी ने स्व तुलछाराम के शिवप्रकाश को गौद देने बाबत् सहमति पत्र लिखकर दिया हैं। स्व. तुलछाराम ने कभी भी अपने जीवनकाल में अप्रार्थी शिवप्रकाश गोद नहीं लिया तथा न ही किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अपने जीवनकाल में निष्पादित किया। इस प्रकार अप्रार्थी शिवप्रकाश किसी भी प्रकार से तुलछाराम का गोद पुत्र नहीं है। निगरानी कर्ता बिदामी अनपढ महिला है तथा निगरानी कर्ता बिदामी अपने पिता की चल व अचल सम्पति पर काबिज हैं तथा निगरानी कर्ता अपने पिता तुलछाराम के मकान में निवास कर रही है अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में गलत कथन अंकित कर अपने को गोद पुत्र बताकर निगरानी कर्ता की पैत्रक सम्पति को हडपना चाहता है तथा अप्रार्थी अपने गोद पुत्र साबित करने में असफल रहा तो फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत से मिलावट कर गलत दस्तावेज तैयार करवा कर फर्जी पट्टा तुलछाराम की सम्पति पर जारी करावाया है जो निरस्त करने योग्य है। अप्रार्थी निगरानी कर्ता के मकान में कभी भी निवास नहीं किया। निगरानी कर्ता अपने पिता तुलछाराम के जीवनकाल से ही उक्त मकान में निवास कर रही है। क्योंकि तुलछाराम के एक मात्र वारिस निगरानी कर्ता बिदामी है इसके अलावा स्व तुलछाराम का कोई भी वारिस जीवित नहीं है। निगरानी कर्ता ने उक्त मकान में अपने नाम से बिजली कनेक्शन व पानी कनेक्शन भी ले रखा है तथा प्रारम्भ मे उक्त मकान में निवास कर रही हैं। इसलिए भी पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया पट्टा खारिज होने योग्य है।

2(10)– निगरानी कर्ता बिदामी ने कभी भी अप्रार्थी के पिता सेवाराम को उक्त मकान का कब्जा सुपुर्द नहीं किया था। निगरानी कर्ता प्रारम्भ से ही उक्त मकान में निवास कर रही है तथा निगरानी कर्ता के पिता तुलछाराम की मृत्यु होने के बाद तुलछाराम की खातेदारी की जमीन पर भी निगरानी कर्ता बिदामी के नाम नामान्तरण किया गया। इस प्रकार स्व. तुलछाराम की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति पर निगरानी कर्ता बिदामी का ही हक अधिकार है तथा निगरानी कर्ता बिदामी के कब्जे में हैं। अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में यह कथन गलत अंकित किया है कि निगरानी कर्ता ने अप्रार्थी के पिता सेवाराम को स्व तुलछाराम की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पति का कब्जा सुपुर्द कर दिया हो जबकि निगरानी कर्ता स्वयं तुलछाराम की सम्पूर्ण सम्पति पर आज दिन तक काबिज है। इस लिए भी उक्त पट्टा खारिज होने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आर.जे.टी. 2012(2) पेज 1544 से 1549, आरआरटी 2012(2) पेज 1265 से 1267, आरआरटी 2009(1) पेज 609 से 614, डीएनजे राज 2015(1) पेज 443 से 448 तथा डीएनजे राज 2015 (2) पेज 595 से 599 तक नजीरे पेश की।

3– अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि–

3(1) ग्राम पंचायत मेडता ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया था जिसकी पूर्णतया निगरानी कर्ता को जानकारी थी।

3(2) धारा 97 में निगरानी दिनांक 01.03.2023 को प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रस्तुत करने की मियाद तीन माह ही है निगरानी म्याद बाहर प्रस्तुत हुई है। वैसे अपील प्रस्तुत होनी चाहिए थी जो निगरानी कर्ता ने प्रस्तुत नहीं की है।

3(3) धारा 97 राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति (3) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किया जाने के नब्बे दिन के भीतर भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी मगर निगरानी कर्ता ने नब्बे दिन के भीतर भीतर निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है व न ही म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इसलिए निगरानी म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है। चिरजीलाल बनाम अति कलेक्टर जयपुर आर एल डब्लू (राज.) 2002(4) पेज 2284 में प्रतिपादित किया गया कि पट्टा 39 वर्ष के बाद में निरस्त करना मनमानी है।

3(4) निगरानीकर्ता बिदामी ने एक सिविल वाद संख्या 136/2019 दिनांक 05.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के जाईन्दा पिता सेवाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 सी.पी.सी. को दिनांक 02.03.2020 को पेश किया गया जिसमें बताया गया कि वादग्रस्त सम्पति संख्या 1 का पट्टा ग्राम पंचायत मेडता रोड के धारा 97 प्रति प्रार्थना पत्र के साथ में

अपर कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत की थी प्रार्थना पत्र की प्रति निगरानी कर्ता बिदामी को दिलाई गई थी जिसका जवाब निगरानी कर्ता बिदामी की ओर से दिनांक 07.01.2022 को पेश किया गया था निगरानी कर्ता को पट्टा संख्या 2122 दिनांक 21.08.2017 की जानकारी दिनांक 02.03.2020 को पूर्णतया हो चुकी थी मगर निगरानी कर्ता ने जानकारी दिनांक 02.03.2020 से तीन माह में निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है व निगरानी म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है।

3(5)– निगरानी कर्ता श्रीमती बिदामी के पिता तुलछाराम के एक पुत्र रामस्वरूप पैदा हुआ था निगरानी कर्ता श्रीमती बिदामी का भाई रामस्वरूप व उसकी पत्नी बाबूडी जिनका देहान्त हो चुका है। रामस्वरूप की दो पुत्रियां समुडी व पप्पूडी का भी देहान्त हो चुका है। निगरानी कर्ता बिदामी के भाई रामस्वरूप का देहान्त दिनांक 09.05.1995 को हुआ था। निगरानी कर्ता बिदामी के पिता, भाई व भाभी के देहान्त हो जाने के बाद में निगरानी कर्ता बिदामी ने एक इकरारनामा दिनांक 07.06.1995 को निष्पादित किया था कि मैं शादीसुदा हूं तथा मैं अपने ससुराल गांव गोटन में ही स्थायी निवास करती हूं तथा मेरे पिताजी स्वर्गीय तुलछीराम उर्फ तुलछा का देहान्त हो चुका है तथा मेरे माताजी सुखडीदेवी का भी देहान्त हो चुका है तथा उनके देहान्त पश्चात हम जायज वारिस क्रमश रामस्वरूप व बीदूडी ही थे जिसमें भाई रामस्वरूप का देहान्त दिनांक 09.05.1995 को हो चुका है तथा रामस्वरूप की धर्म पत्नि बाबुडी का भी देहान्त दिनांक 23.05.1995 को हो चुका है अब रामस्वरूप के दों पुत्रियां क्रमश समुडी व पप्पूडी है जिसकी उम्र क्रमश 3 वर्ष व 1 वर्ष है। समाज के भाई बन्धुओ की सहमति से पेरे पिताजी का घर आबाद रखने के लिए भाई सेवाराम के सुपुत्र शिवप्रकाश को गोद दे दिया जिसमें मेरी भी पूर्णतया सहमति है अब शिप्रकाश का मेरे पिताजी स्वर्गीय तुलसीराम उर्फ तुलछा की सम्पति पर स्वामित्व अधिकार व कब्जा है तथा जैसे एक जायन्दा पुत्र को उपलब्ध रहता है शिवप्रकाश के पिता सेवाराम परवरिश करेगा तथा शिवप्रकाश की शादी व दोनो पुत्रियां क्रमश समुडी व पप्पूडी की शादी इत्यादि व परवरिश आदि सेवाराम के ही जिम्मे है तथा सेवाराम ही तमाम प्रकार का खर्चा करेगा, जिसमें किसी अन्य भी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी मैं तो केवल मात्र सेवाराम के बुलाने पर आणा टाणा पर अपनी पीहर आती जाती रहूंगी तथा ओरण काजली लेती रहेगी। इसके अलावा एक सहमति पत्र सेवाराम, बीजाराम निगरानी कर्ता बिदामी, बीदूडी, रामकिशोर ने संयुक्त रूप से दिनांक 02.06.95 को निष्पादित किया था कि भाई तुलछाराम फौत हो चुका है जिसका जायन्दा पुत्र रामस्वरूप था जो भी फौत हो चुका है तथा रामस्वरूप की बहू बाबूडी भी फौत हो चुकी है। रामस्वरूप की जो लडकिया है जिसकी उम्र 3 वर्ष व 1 वर्ष है जिसका नाम क्रमश समुडी व पप्पूडी है। अब उक्त तुलछाराम के जायज चल व अचल सम्पति पर केवल मात्र सेवाराम का पुत्र शिवप्रकाश ही है। जिसको आज दिन गोद दे दिया है तथा जब तक शिवप्रकाश बालिग नहीं होगा जब तक संरक्षक के रूप में सेवाराम ही कार्य करेगा तथा देखरेख व साल सम्भाल खर्चा इत्यादि सेवाराम ही करेगा, शिवप्रकाश की आयु 6 वर्ष है। इस प्रकार से निगरानी कर्ता बिदामी की स्वीकृति से निगरानी कर्ता के पिता तुलछाराम का गोद पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश है।

3(6)– ग्राम मेडता रोड की आबादी में जो तुलछाराम की चल व अचल सम्पति थी उस चल व अचल सम्पति को निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी ने अप्रार्थी संख्या 1 जाईन्दा पिता सेवाराम जो कि अप्रार्थी संख्या 1 का सरंक्षक व पिता होने से तुलछाराम की तमाम चल व अचल सम्पति का कब्जा दिनांक 02.06.95 व दिनांक 07.06.95 को सुपुर्द कर दिया था व निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी ने अपने पिता की तमाम चल व अचल सम्पति से वंचित हो गई थी अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश को तमाम जायदाद का कब्जा सुपुर्द कर दिया था व निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी स्वयं आउट ऑफ पजेशन हो गई थी। निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी के पिता तुलछाराम का एक मकान ग्राम मेडता रोड की आबादी क्षेत्र में आया हुआ था जिसके पाडौस निम्न प्रकार से है। उत्तर में– आम रास्ता व स्वयं का निकला, दक्षिण में– चन्द्राराम/कानाराम का मकान, पूर्व में रामदेव कालवा/सुखाराम का मकान, पश्चिम में – किशोर कुमार/केसाराम का मकान, नाप– उत्तर भुजा 27 फुट, दक्षिणी भुजा 22.6 फुट पूर्वी भुजा 27 फुट, पश्चिमी भुजा 29 फुट कुल 693 वर्ग फुट या 77 वर्ग गज। उक्त जायदाद का पट्टा शिवप्रकाश ने पट्टा क्र. सं. 2122 मिसल संख्या 17/2017–18 दायरा दिनांक 21.07.2017 दिनांक 21.08.17 को जारी करवा लिया था इस प्रकार से उक्त जायदाद का स्वामित्व अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश है। ग्राम पंचायत मेडता रोड से पट्टा संख्या 2122 दिनांक 21.08.2017 को जारी किया।

3(7)–उक्त पट्टासुदा मकान अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश की सम्पति है जो पट्टासुदा कब्जासुदा सम्पति है जिसमें मकान बना हुआ है। कोरोना 2019 लोक डाउन सन 2020 लगने से 05 दिन पूर्व निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी अपने पीहर अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के जाईन्दा पिता सेवाराम के घर पर आई फिर दिनांक 20.03.2022 को सम्पूर्ण लोक डाउन लग गया था निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी वापिस अपने गांव गोटन साधन नहीं मिलने के कारण नहीं जा सकी थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के

अपर कलक्टर, नागौर

जाईन्दा पिता एक ही घर में रहते है व अप्रार्थी संख्या 1 रात्रि सोने के लिए व अपना घर का सामान अपने दत्तक पिता से प्राप्त मकान को ही काम में लेता है। लोक डाउन लगने के बाद में कुछ दिन बाद में मई माह 2020 में लोक डाउन मे कुछ छूट दे के बाद में निगरानी कर्ता अपने ससुराल चली गई व थोडे दिनो के बाद में वापिस निगरानी कर्ता अपने पति को भी साथ मे लेकर ग्राम मेडता रोड आ गई व कहा कि लोक डाउन की वजह से हमारे को गोटन में काम नहीं मिल रहा है यहा पर रहकर ही मजदुरी कर लेगे व कुछ दिन अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के घर में निगरानी कर्ता अप्रार्थी संख्या 1 के साथ में ही रहे थे तब निगरानी कर्ता श्रीमती बिदामी ने अप्रार्थी संख्या 1 व उनके पिता को कहा कि हम दोनो पति पत्नी आपके साथ में रहते हुए ज्यादा दिन हो गये है अब हम अलग रहेगे व मजदूरी करेगे सम्पूर्ण लोक डाउन खुलने के बाद में वापिस गोटन चले जायेगे तब अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कब्जासुदा पटटासुदा मकान जो अपने गोद पिता से प्राप्त को मई 2020 के अन्तिम सप्ताह में निगरानी कर्ता व उसके पति को कुछ दिन रहने के दिया गया था अप्रार्थी संख्या 1 के मकान में ही निगरानी कर्ता व उसके पति एक साथ में रहने लग गये थे उसके बाद में विद्युत विभाग के कर्मचारी अप्रार्थी संख्या 1 के मकान में विद्युत कनेक्शन करने के लिए आये व विद्युत कनेक्शन करके चले गये अप्रार्थी संख्या 1 मजदुरी पर गया हुआ था वापिस शाम को घर पर आया तो अप्रार्थी संख्या 1 निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी को पूछा तो बताया कि मैने बिजली नहीं होने से कनेक्शन ले लिया है उसके बाद में निगरानी कर्ता जून 2020 तब अप्रार्थी संख्या 1 के पटटासुदा कब्जासुदा मकान में रहे व अप्रार्थी संख्या 1 के घरेलू सामान जिसमें बर्तन, बिस्तर खाने पीने का सामान को काम में लेते रहे थे व दिनांक 01.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ने निगरानी कर्ता को पूछा कि अब लोक डाउन कम हो गया है तुम गोटन नहीं जा रहे हो तो निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी ने कहा कि यह मकान मेरे पिता का है मैं मकान में ही रहूंगी तो अप्रार्थी संख्या 1 ने निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी को कहा कि आपने मेरे बाल्यकाल मे मकान मेरे को दे दिया है अब तुम्हारा कोई हित नहीं है तो निगरानी कर्ता ने मकान से जाने से मना कर दिया व अप्रार्थी संख्या 1 से लडाई झगडा करके अप्रार्थी संख्या 1 को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था व उसके बाद में अप्रार्थी संख्या 1 ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. मेडता के सहायक अभियन्ता मेडता को आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2020 को देकर निगरानी कर्ता श्रीमती बिदामी के नाम का विद्युत संबंध अवैध होने से गलत होने का लिखा व अप्रार्थी संख्या 1 का पट्टासुदा होने का लिखा था मगर सहायक अभियन्ता ने कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिशाषी अभियन्ता मेडता को दिनांक 21.07.2020 को आवेदन पत्र दिया व लिखा कि बिदामी पत्नी रामेश्वर मेघवाल ने विद्युत संबंध अवैध ले रखा है व मेरा पट्टासुदा है व विद्युत कनेक्शन अवैध है व विधुत संबंध को कटवाने हेतु लिखा मगर फिर भी विधुत कनेक्शन को विच्छेद नहीं किया गया था जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने विद्युत विभाग को सूचना के अधिकार के तहत विधुत संबंध निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी के द्वारा प्राप्त करने के आवेदन की नकल की मांग की व नकल नहीं देने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपील प्रस्तुत की थी मगर विद्युत विभाग ने तीसरे पक्षकार को नकल देने से मना कर दिया था।

3(8)–निगरानीकर्ता श्रीमति बिदामी ने अपने पिता के समयकाल में शादी होने के बाद में गांव मेडता रोड को छोडकर अपने ससुराल में रहती थी व निगरानी कर्ता अपने माता पिता व भाई के देहान्त के बाद में केवल अप्रार्थी संख्या 1 के जाईन्दा पिता सेवाराम के बुलावे पर मेडता रोड आती थी व अप्रार्थी संख्या 1 के जाईन्दा पिता सेवाराम निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी को कपडे व रोकड रूपये दे देते थे। निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी ने अपने पिता की तमाम चल व अचल सम्पति अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश को कब्जा सुपुर्द कर दिया था व निगरानी कर्ता ने दिनांक 07.06.1995 के बाद में अपने पिता की जमीन जायदाद का क्लेम नहीं किया था व न ही निगरानी कर्ता अपने पिता की सम्पति मेडता रोड में कभी रही थी व अप्रार्थी संख्या 1 अपने गोद पिता की काश्त की जमीन को भी बोता है व काबिज है निगरानी कर्ता अपने माता पिता के जीवनकाल में शादी होने के बाद में अपने ससुराल में रहती रही है व मेडता रोड में केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सेवाराम के आणे टाणे पर बुलावे पर आती थी व वापिस चली जाती है। निगरानी कर्ता की शादी के बाद में एक दिन भी अपने पिता को प्राप्त जमीन में निवास नहीं किया गया है। निगरानी कर्ता ने अपने पिता की तमाम चल सम्पति को अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश को सुपुर्द कर दिया था जो निगरानी कर्ता बिदामी ने अपने पिता व भाई व भाभी के देहान्त के बाद में अपना हक हिस्सा यानि अपने पिता व भाई का हिस्सा छोडकर अप्रार्थी संख्या 01 शिवप्रकाश को सुपुर्द कर दिया था। निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी संख्या 01 शिवप्रकाश को अपने पिता की जमीन जायदाद सुपुर्द करने के 27 वर्ष के बाद में अप्रार्थी संख्या 1 के मकान को कुछ दिन लोक डाउन में रहने के लिए मांग कर लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 का मई 2020 तक कब्जा रहा है जो निगरानी कर्ता की पूर्णतया जानकारी में है जो निगरानी कर्ता ने समाज के मौजिज व्यकितयों के समक्ष लिखित में दिया था जो निगरानी कर्ता श्रीमति बिदामी की सहमति व स्वीकृति है जिसको निगरानी कर्ता

अपर कलक्टर, नागौर

कतई मना नहीं कर सकती है। वादग्रस्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 शिवप्रकाश की पट्टासुदा है जिसमें शिवप्रकाश अपने परिवार सहित निवास लोक डाउन 2019 से 2020 के मई माह तक कर रहा है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज 2002(1) पेज 307 से 209, आरएलडब्लू 2010(2) पेज 1344 से 1346, धारा 97 पेज नम्बर 105 तथा धारा 99 पेज नम्बर 106 नजीरे पेश की।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेडता रोड द्वारा मिसल संख्या 17/2017–18 पट्टा संख्या 2122 दिनांक 21.08.2017 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत मेडता रोड ने राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 की पालना में दिनांक 05.08.2017 को एक नोटिस जारी कर उसमें अंकन किया कि यदि किसी को भी उल्लेखित भूमि के विक्रय पर कोई आक्षेप हो तो उसकी तारीख से एक माह के भीतर अपने आक्षेप फाइल कर देने चाहिए, परन्तु ग्राम पंचायत ने एक माह से पूर्व ही दिनांक 21.08.2017 को उक्त पट्टा जारी कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत ने पट्टा पत्रावली में दिनांक 05.12.17 को अंकन किया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के अंतर्गत पट्टा जारी करने का आदेश दिया जाता है, परन्तु उक्त पट्टा उससे पूर्व ही दिनांक 21.08.17 को जारी कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध रसीद सं. 26 दिनांक 05.12.2017 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार 300/– जमा कर पट्टा जारी करने का विनिश्चय किया गया है, परन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा उससे पूर्व ही दिनांक 21.08.17 को जारी कर दिया, जिससे पट्टा की वैधानिकता पर संशय पैदा होता है। उक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मेडता रोड द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 2122 दिनांक 21.08.2017 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर